

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक. 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक - ता०

प्रेमा देवी से बगान उद्यान प्रजापति

अंचल- बालूमाथ, जिला- लातेहार।

विधि वाद सं० 09/2021-2022

1

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित										
1	2	3										
21-08-2021	आवेदिका प्रेमा देवी पति प्रेम कुमार ग्राम + पो० मुरपा थाना बालूमाथ जिला लातेहार द्वारा हाल सर्वे खतियान के आधार पर निम्न भूमि का रसीद निर्गत हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। भूमि का विवरण <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>खाता</th><th>प्लॉट</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>मुरपा</td><td></td><td>RS-177 CS-72</td><td>RS-781 CS-783/503</td><td>0.30 ए० 0.10 ए०</td></tr></table> उक्त भूमि का दखल कब्जा के आधार पर 1. उधो प्रजापति पिता लखन प्रजापति, 2. मुकेश प्रजापति पिता स्व० महावीर प्रजापति, 3. तेजू प्रजापति पिता स्व० बान्दो प्रजापति, 4. हरि प्रजापति पिता स्व० कईल प्रजापति सभी ग्राम मुरपा थाना बालूमाथ द्वारा रसीद निर्गत में रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। प्रेमा देवी के आवेदन के आलोक में वाद की कारवाई प्रारम्भ की जाती है। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। वाद की अगली तिथि को उभय पक्ष अपने-अपने रजस्व कागजातों के साथ उपस्थित रहेंगे। वाद की अगली तिथि <u>15-09-2021</u> को निर्धारित की जाती है। अंचल अधिकारी, बालूमाथ।	मौजा	थाना सं०	खाता	प्लॉट	रकबा	मुरपा		RS-177 CS-72	RS-781 CS-783/503	0.30 ए० 0.10 ए०	
मौजा	थाना सं०	खाता	प्लॉट	रकबा								
मुरपा		RS-177 CS-72	RS-781 CS-783/503	0.30 ए० 0.10 ए०								
5-09-2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित वाद की अगली तिथि को निर्धारित की जाती है। अंचल अधिकारी, बालूमाथ।											

5-09-2021

Compared by
Examine

7/8/23
7/8/23
7/8/23

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ । आदेश पत्रक

दस्तावेज - ता० _____ से _____ तक

स्थान - बालूमाथ, जिला - लातेहार विविध वाद सं०-9/2021-22

15

आदेश का प्रकार- प्रेमा देवी बनाम उधो प्रजापति

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

05.08.2023

अभिलेख उपस्थापित। उपभ पक्षकार उपस्थित। पूर्व से आदेश हेतु तिथि निर्धारित थी।

प्रथम पक्षकार आवेदिका प्रेमा देवी पति प्रेम कुमार ग्राम मुरपा के द्वारा सी०एस० खाता 72 प्लॉट 830, 503, आर०एस० खाता 177, प्लॉट 781, 783 रकबा 30 डी० एस० 10 डी० कुल रकबा 40 डी० का लगान अलग करने हेतु आग्रह किया गया है। प्रथम पक्षकार का कहना है कि यह संयुक्त सम्पत्ति है। यह हमारे हिस्से में पड़ता है। जब इस पर जोत-कोड़ करते हैं तो उधो प्रजापति, मुकेश प्रजापति, तेजू प्रजापति, हरि प्रजापति के द्वारा बाधा डाला जाता है।

द्वितीय पक्षकार का कहना है कि यह एक संयुक्त सम्पत्ति है। प्रथम पक्षकार के पूर्वज अपने हिस्से की भूमि को विक्री करते आये हैं और अब उनका पुत्र प्रेम प्रजापति के द्वारा ऑनलाईन खाता में नाम इन्द्राज हो जाने के कारण सभी भूमि को विक्री कर रहे हैं या अपनी पत्नी के नाम से केवाला कर रहे हैं। द्वितीय पक्षकार विक्री के पूर्व सम्पत्ति का घंटवारा करते हुए प्रत्येक व्यक्ति 1/5 करने हेतु आग्रह किया गया है।

उभय पक्ष की बातों एवं तर्कों के आधार पर यह निष्कर्ष पाये जाते हैं :-

1- यह भूमि मौजा मौजा मुरपा आर०एस० खाता 177 आर० प्लॉट 781 व अन्य, कुल रकबा 6.20 एकड़ से संबंधित है। यह पूर्व में सी०एस० खाता 72 का बना खाता बना है, यह एक संयुक्त सम्पत्ति है।

Compared
Examine

by


Comparing Clerk

2- इस भूमि के एक हिस्सेदार मकराई कुम्हार व धनु कुम्हार व पनु कुम्हार व सनु कुम्हार पिता भोला कुम्हार एवं मुनेसर कुम्हार व बासदेव कुम्हार पिता गाजो कुम्हार है। यह उक्त भूमि के विभिन्न प्लॉटों पर जोत-कोड़ कर रहे हैं। इस पर किसी भी पक्षकार का कोई आपत्ति नहीं है। एक हिस्सेदार के वंशज के द्वारा अपने भूमि के विभिन्न रैयत को विक्री भी किये हैं।

3- इसी भूमि के एक दूसरे हिस्सेदार लक्ष्मण कुम्हार व कंदार कुम्हार पिता विलट कुम्हार के द्वारा इसी खाता के विभिन्न प्लॉटों पर जोत-कोड़ करते आ रहे हैं। इस पर भी किसी भी पक्षकार का कोई आपत्ति नहीं है। इस हिस्सेदार के कई वंशज के द्वारा अपनी भूमि के केवाला दूसरे रैयतों को किये हैं।

4- इस भूमि के तीसरे हिस्सेदार बदन कुम्हार व बांदो कुम्हार व बुटा कुम्हार पिता दुनु कुम्हार एवं महावीर कुम्हार पिता गुनु कुम्हार एवं तुलसी कुम्हार व चरकू कुम्हार व लीवर कुम्हार व हरी कुम्हार पिता कईल कुम्हार है। यह सब भी उक्त आर० एस० खाता 177 के विभिन्न प्लॉटों पर जोत-कोड़ कर रहे हैं। इनके द्वारा उक्त खाता के प्लॉटों के अन्य रैयतों को विक्री किया गया है। इसमें भी अन्य हिस्सेदारों को कोई आपत्ति नहीं है।

5- तीसरे हिस्सेदार आर०एस० खाता 177, 176 के विभिन्न प्लॉटों यथा- 196, 197, 388, 781, 783, 1568, 1569, 2306, 2323, 1264, 789, 793, 795, 797 रकबा क्रमशः 0.04, 0.09, 0.60, 0.30, 0.10, 0.03, 0.06, 0.20, 0.08, 0.09, 0.09, 0.20, 0.03, 0.03 एकड़ कुल रकबा 1.94 एकड़ पर काबिज है तथा सभी 5 गोतिया दखलकार है।

6- तीसरे हिस्सेदार के महावीर की पत्नी अंजनी के द्वारा प्लॉट 388 में 6 डी०, बांदो के पुत्र तेजू के द्वारा प्लॉट 388 में 12 डी०, बुटा के पुत्र प्रेम के द्वारा प्लॉट 781, 783 में से 40 डी०, बांदो के पुत्र तेजू के द्वारा प्लॉट 789, 793, 795, 797 में से 17 डी० विभिन्न क्रेता को विक्री कर

चुके हैं। Compared by
Examined

9.8.23
Clerk

7- तीसरे हिस्सेदार को सभी 5 पांचो पक्षकार बदन कुम्हार, बांदो कुम्हार, बुटा कुम्हार, महावीर कुम्हार व कईल कुम्हार को उनके जोत कोड़ वाली सभी प्लॉटो मे 1/5 हिस्सा बनता है।

8- प्रत्येक खतियानी रैयत का भाग सभी प्लॉटो मे होने के नाते वह अपनी 1/5 भाग बेचने के लिए ही अधिकृत है।

उपरोक्त निष्कर्षों, तथ्यों एवं साक्ष्यों तथा राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि आर०एस० खाता 177 प्लॉट 187, 188, 193, 195, 789, 790, 791, 792, 793, 196, 197, 198, 240, 388, 200, 794, 795, 796, 797, 1021, 1031, 781, 783, 1568, 1569, 1726, 1758, 1759, 1762, 1763, 1764, 1912, 2307, 2323, 2332, 2018, 2030, 2037, 2044 कुल रकबा 6.20 एकड़ मे बदन कुम्हार, बांदो कुम्हार, बुटा कुम्हार, महावीर कुम्हार, कईल कुम्हार का 1/5 हिस्से का अधिकार पाया जाता है। चूंकि कुछ गोतिया के वंशज इस खाता की भूमि को बिना आपसी बंटवारा के दूसरे रैयत को बिक्री कर चुके हैं इसलिए उनके हिस्से मे से उतना रकबा को घटा दी जाएगी। कुछ गोतिया अपने ही परिवार के सदस्यों को भूमि निबंधित किये हैं उसमे भी आपसी बंटवारा किया जाएगा। सभी रैयत 1/5 हिस्से का बंटवारा कर अलग लगान रसीद निर्गत करने हेतु राजस्व कर्मों को सभी दस्तावेज उपलब्ध करावेगे। राजस्व कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि इस वाद मे पारित आदेश के आलोक मे पांचो गोतियाओं के साथ समन्वय स्थापित करके उक्त भूमि का आपसी सहमति से 1/5 बंटवारा करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश से सभी पक्षकारों एवं राजस्व कर्मों को अवगत कराये। असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय मे अपील करने के लिए स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
बालूमाथा।

Compared
Examine by

अंचल अधिकारी,
बालूमाथा।

7-8-23
Clerk